पांच बजे के बाद दे सकते हैं।

†[نیتا ورودھی دل (شری سکندر بخت):
صدر صاحبہ- کل کوئی کالنگ اٹینشن
وغیرہ تو نہیں ہے- کل ۱۲ بجے کے بعد- کوئشچن
آور کے بعد اگر کوئی دوسرا بزنیس نہیں
ہے تو ڈیفینس منسٹر صاحب بیان پر
کلیریفکیشن کا جواب دے سکتے ہیں-
یا پھر کل پانچ بجے کے بعد دے سکتے ہیں-]

श्री मुलायम सिंह यादव: मैडम, कल 3 बजे से पहले कर दें। मेरा कार्यक्रम एक के बाद सेना का है जेसलमेर में। मुझे जाना तो दो बजे है। अगर आपकी कृपा हो जाए तो ठीक है, वरना तीन बजे से पहले करा दीजिए।

उपसभापति: कल के दिन दो और ढाई के बीच का टाइम होता है हमारे पास और ढाई बजे हमारा प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस शुरू होता है। तो दो और ढाई बजे के बीच में रखते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: ठीक है, मैडम।

उपसभापति: तो दो बजे आप आइए, ढाई बजे आपकी छुट्टी देंगे। अब आप अपना बयान बोल दीजिए।

STATEMENT BY MINISTER

Procurement of SU-30 MK Aircraft

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव): माननीय सभापति महोदय,

माननीय सदन को यह जानकारी देते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि दो वर्ष की लम्बी बातचीत के बाद हमारे रक्षा सचिव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि-मंडल ने रूस से भारतीय वायु सेना को 40 एस० यू०-30 एम० के० विमानों की आपूर्ति के लिए रूस से एक अनुबंध किया है। यह अनुबंध हमारे रक्षा मंत्रालय तथा रूजवोरूझानी और इर्कुत्स्क वैमानिकी उद्योग ऐसोसिएशन के बीच हुआ है: इस अनुबंध की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

†[ ] Transliteration in Arabic script.

(1) पहली बार, रूसी ऐजेन्सियां हमारे रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को अनुसंधान व विकास में भागीदार बनाने और संयुक्त रूप से वैमानिकी विकसित करने पर सहमत हुई है।

(2) यह अनुबंध, भविष्य में ऐसे विमानों की पूर्ति के लिए हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि० को भारत में ही इस विमान के लाईसेंस उत्पादन की अनुमति देता है।

2. एस० यू०-30 अपनी किस्म का ऐसा बहु-उद्देशीय विमान है, जो लक्ष्य भेदन की अचूक क्षमता रखता है और इसकी सहन-शक्ति भी बहुत अधिक है। इसकी विशिष्टयां भारतीय वायुसेना की संक्रियात्मक जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई हैं। यह विमान अपनी किस्म के विमानों की श्रेणी में भी अपनी लागत से कहीं अधिक उपयोगी है।

3. यह समझौता भारत रूस के पुराने मैत्री संबंधों, जो अन्य क्षेत्रों के अलावा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भी विद्यमान हैं, का द्योतक है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंध और अधिक घनिष्ठ हुए हैं। इस प्रकार दोंनो पुराने मित्र देशों की यह महत्वपूर्ण भागीदारी संपूर्ण क्षेत्र की स्थिरता को बल देगी। धन्यवाद।

1.00 P.M.

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Madam, it is a very short statement. Within fifteen minutes we can seek clarifications.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Though it is a short statement, the importance of the statement is there. We would do it tomorrow between 2.00 P.M. and 2.30 P.M. I would like to know whether a copy of the statement in English has been distributed among Members.

SOME HON MEMBERS: Madam, we have received it.

उपसभापति: कल 2.00 से 2.30 बजे तक कम्प्लीट कर देंगे।

DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Madam, what about my Zero Hour submission, which has been permitted by the hon. Chairman?

उपसभापति: बाद में होगा। इसके बाद, जो बिल

लगे हैं, वह बिल होने के बाद।

डा० वाई० लक्ष्मी प्रसाद (आन्ध्र प्रदेश): यह बड़ा अन्याय है हमारे प्रति यह ज़ीरो आवर क मैटर है, ज़ीरो आवर में होना चाहिए।

श्री एस० एस० अहलुवालिया (बिहार): ज़ीरो आवर खत्म हो गया है।

...(Interruption)...

उपसभापति: मुझे इस बात का दुख भी है और खुशी भी है कि सब लोग जब आपका समय ले लेते हैं तो आप उनको बोलिए। यह जो सब लोग एसोसिएट करते हैं तो उनको बोलिए कि वे न बोलें। मैं तो मना करती हूं।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Madam, prior permission should be obtained for association also.

उपसभापति: हां, यही मैं कहती हूं कि परमिशन के बिना अगर बोलते है तो गलत बात है, मगर कोई सुनता नहीं है। यह तो आपकी जिम्मेदारी भी है, हाउस के मैम्बर्स की भी कि आप बिना परमिशन के न बोलें।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: The Members who are sitting on the front benches can easily associate themselves either with a Special Mention or with a Zero Hour submission, but the Members sitting on back benches are not easily identified. The Members sitting behind are at a disadvantage. That has been my experience.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I say that Members of the House should have consideration for their own colleagues and should not speak if their names are not there. Everyday this is what I have been telling them. it should be implemented.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Without prior permission, no association should be allowed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Then, you speak to the hon. Chairman. If he approves it, I would implement it.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: I am making this submission, through you, to the hon. Chairman.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You speak to him directly. You may also speak to your colleagues. The House doesn't belong to me alone. It belongs to you. It belongs to all of them. It belongs to these people also.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Madam, certain Members on the front benches have the prerogative to rise and say that they would like to associate themselves either with Special Mentions of Zero Hour submissions, but the same benefit is not being allowed to the Members sitting on the back benches.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I don't think Mr. Fernandes is on the front bench.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: I do not want to blame anybody.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is sitting in front of you. But the thing is you make a mention. Everybody can make a mention. It is only the timing. Let's work together. After all, the House is ours. I know that today you are hurt, tomorrow somebody else would be hurt. But never mind, you would also be identified along with Members sitting on the front benches. Now, the House is adjourned for lunch for one hour.

The House adjourned for lunch at three minutes past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at seven minutes past two of the clock.

The Vice-Chairman (Shrimati Kamla Sinha) in the Chair.

STATUTORY RESOLUTION

Re. Proclamation issued by President in relation Uttar Pradesh—Contd.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): डा० बी०बी० दत्त, स्टेट्यूटरी रिजोल्यूशन के ऊपर बहस जारी है।

Mr. B.B. Dutta, you were on your legs. Please continue.

DR. B.B. DUTTA (Nominated):